(2)

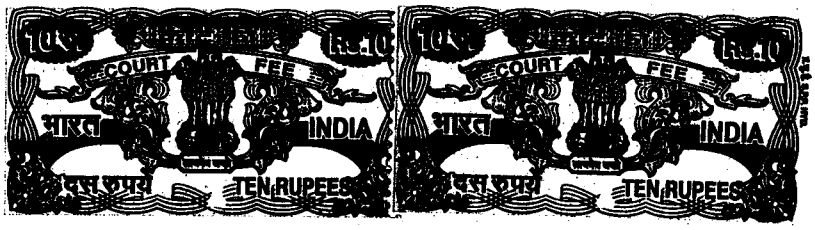




## न्यायालय श्रीमान रेवेन्यू कोर्ट ग्वालियर केम्प भोपाल म.प्र.

R 1264-PBR-17

1. मजीद खॉ पिता नन्नू खॉ आयु 50 वर्ष
2. अमीन खॉ पिता नन्नू खॉ आयु 45 वर्ष
3. नियाज मोहम्मद पिता नन्नू खॉ आयु 40 वर्ष
4. ईशाक खॉ पिता नन्नू खॉ, आयु 42 वर्ष
5. भूरे खॉ पिता नन्नू खॉ, आयु 35 वर्ष

सर्व जाति मुसलमान, निवासी माचलपुर रोड़ जीरापुर तहसील थाना जीरापुर जिला राजगढ़ म.प्र.

---पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1. अनिता पति ब्रम्हस्वरूप मूंदड़ा आयु 50 वर्ष
2. ब्रम्हस्वरूप मूंदड़ा पिता पुरूषोत्तमदास मूंदड़ा आयु 52 वर्ष
   दोनों जाति महाजन
3. शकील पिता बशीर खॉ, आयु 38 वर्ष
4. अकील पिता बशीर खॉ, आयु 35 वर्ष
5. हम्मोबी बेवा बशीर खॉ, आयु 60 वर्ष

सर्व निवासी माचलपुर रोड़ जीरापुर जिला राजगढ़ म.प्र.

---अनावेदकगण

### पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता

श्रीमान,

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निवेदन है कि :-

माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, खिलचीपुर-जीरापुर द्वारा प्र.क्रं. 433अ/70/2016-17 मजीद खॉ विरूद्ध अनिता आदि में पारित आदेश दिनांक 21.04.2017 में पुनरीक्षणकर्ता का आवेदन-पत्र स्थगन हेतु का निरस्त किया है जिससे असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष सविनय प्रस्तुत है।

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण कमांक निगरानी 1264–पीबीआर/2017** **जिला राजगढ़**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 01.05.2017 | आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी खिलचीपुर जीरापुर जिला राजगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–4–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश से आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन पत्र दिनांक 12–4–17 निरस्त किया गया है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि स्थगन देने अथवा नहीं देने संबंधी निष्कर्ष संबंधित पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर होता है और वे स्थगन के संबंध में प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये निर्णय लेते हैं । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।<br><br>अध्यक्ष | |